उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-2

संख्या: 39/2021/1355164/12-2002/4/2021

लखनऊ: दिनांक: 07 जुलाई, 2021

<u>कार्यालय-आदेश</u>

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि रू. 15,00,00.00 लाख की धनराशि सापेक्ष रू. 1,25,00.00 लाख (एक सौ पच्चीस करोड़ रूपए मात्र) की तृतीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि नियमानुसार एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण की जा सकेगी,

2. संगत शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप धनराशि का सदुपयोग करते हुए, माहवार व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा तथा अनुदानित धनराशि से लाभान्वित कृषकों का विवरण विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किया जाएगा,

3. कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा,

4. सुनिश्चित किया जाए कि प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं है। स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जाएगा,

5. व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड ऑफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए,

6. धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, व्यय करने के पूर्व, यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाए,

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय, चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष ''2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उ0 प्र0 विद्युत निगम को अनुदान-27-सब्सिडी'' के नामे डाली जायेगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग की पत्रावली पर प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

4. वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में, वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 के दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या: 39/2021/ 1355164/12-2002/4/2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0, लखनऊ,
5. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्रांक: अभि0/143/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2021-22/लखनऊ, दिनांक 22 जून, 2021 के संदर्भ में,
6. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in